कार्यकारी परिषद की दिनांक 16 अप्रैल 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न बराद सदन, शैक्षणिक ब्लॉक, सिक्किम विश्वविद्यालय, के सभा-कक्ष में आयोजित 30 वीं बैठक के कार्यवृत्त

कार्यकारी परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 16 अप्रैल 2018 को 11 बजे पूर्वा बराद सदन के सभा कक्ष में आयोजित की गई थी । निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे :

1.	प्रो ज्योति प्रकाश तामांग, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	श्री कमल काफ्ले, सचिव (सेवानि.) जी ओ एस पाक्योंग, सिक्किम	-	सदस्य
3.	प्रो. अमरेश दुबे, प्रादेशिक विकाश अध्ययन केंद्र, जे.एन.यू.,नई दिल्ली	-	सदस्य
4.	डॉ. श्री राधा दत्ता, अतिविशिष्ट फेलो एशियन कंफ्लुएंस, शिलांग	-	सदस्य
5.	श्री जी पी उपाध्याय, अपर मुख्य सचिव,मानव संसाधन विकाश विभाग, सिक्किम सरकार	-	सदस्य
6.	प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, डीन , भाषाएं एवं साहित्य स्कूल	-	सदस्य
7.	प्रो. वी. रामादेवी, डीन व्यवसायिक अध्ययन स्कूल	-	सदस्य
8.	डॉ. नवल के पासवान, डीन सामाजिक विज्ञान स्कूल	-	सदस्य
9.	डॉ के आर रामामोहन, डीन मानविकी विज्ञान स्कूल	-	सदस्य
10.	डॉ. एस मणिवन्नान, छात्र कल्याण का डीन	-	सदस्य
11.	प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान, प्रमुख, नेपाली विभाग	-	सदस्य
12.	डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिकी विभाग	-	सदस्य
13.	श्री देवाशिष पाल, वित्त अधिकारी	-	विशेष आमंत्रित
14.	श्री टी.के. कौल, कुलसचिव	-	सचिव

श्री आर आर पौड़ियाल, प्रोफेसर घनश्याम नेपाल एवं प्रो. बापुकन चौधुरी अपनी पूर्व कार्यव्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके एवं अनुपस्थिति हेतु छुट्टी की याचना की ।

सुश्री ग्रेस डी चांकप्पा, सहायक कुलसचिव एवं सुश्री प्रभा मुखिया, सहायक परिषद के सहायतार्थ उपस्थित थीं ।

भाग - 1

कार्यवृत्त एवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि

ई.सी. 30.1.1: कार्यकारी परिषद की दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को आयोजित 29वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यकारी परिषद की दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को आयोजित 29वीं बैठक के कार्यवृत्त 13 दिसम्बर 2017 को सभी सदस्यों के बीच परिचालित किए गए थे । परिषद के किसी सदस्य द्वारा इसपर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी ।

कार्यकारी परिषद की दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को आयोजित एवं 13 दिसम्बर 2017 को सभी सदस्यों में परिचालित 29वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई थी ।

ई.सी. 30.1.2: कार्यकारी परिषद की दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को आयोजित 29वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्त्ती कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने परिषद की 29वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत किया। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया ।

भाग - 2
रिपोर्टिंग मदें

ई.सी. 30.2.1: डॉ. अरुण कुमार शर्मा के संबंध में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव का निरस्तीकरण

परिषद ने नोट किया कि दिनांक 11 अगस्त 2017 को आयोजित अपनी बैठक में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु चयन समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया था । तदनुसार, डॉ. अरुण कुमार शर्मा को 11 सितम्बर 2017 को पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु प्रस्ताव दिया गया था । डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने प्रारम्भ में कार्यभारग्रहणकाल में विस्तार की मांग की थी, जोकि उन्हें स्वीकृत किया गया था । बाद में अपने दिनांक 29 दिसम्बर 2017 के ई -मेल के द्वारा वैयक्तिक कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की थी । विश्वविद्यालय ने उनके निर्णय को स्वीकार किया तथा उनके नियुक्ति के प्रस्ताव को निरस्त किया ।

ई.सी. 30.2.2: श्री सन्दीपन कर की वैयक्तिक सहायक के रूप में नियुक्ति

परिषद ने नोट किया कि अपनी दिनांक 11 अगस्त 2017 की बैठक में इनके द्वारा कुलपति को लिखित परीक्षा एवं अर्हक स्टेनोग्राफी जांच में कार्यनिष्पादन के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तथा स्टेनोग्राफी जांच में अर्हता प्राप्त करने पर, श्री सन्दीपन कर को वैयक्तिक सहायक के पद हेतु प्रस्ताव दिया गया तथा उन्होंने 06 नवम्बर 2017 को वैयक्तिक सहायक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था ।

भाग - 3, संपुष्टि हेतु मामले

ई.सी. 30.3.1: डॉ. विमल किशोर, सहायक प्रोफेसर को लिएन पर कार्यमुक्त किया जाना

डॉ. विमल किशोर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग ने दिनांक 31 जनवरी 2018 को कार्यभारमूक्त किए जाने का अनुरोध किया था, ताकि वे झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर सिक्किम विश्वविद्यालय में उनके द्वारा धारित पद पर लिएन रखते हुए कार्यभार ग्रहण करने में सक्षम हो सकें।

विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार, उन्हें तीन माह की सूचनावधि में शेष रहे दिनों, अर्थात 82 दिनों की अवधि के बदले में वेतन जमा करने को कहा गया था । उन्होंने तीन किश्तों में भुगतान किए जाने का अनुरोध किया था, जिसे कुलपति द्वारा मानवता के आधार पर स्वीकार किया गया ।

परिषद ने डॉ. विमल किशोर, सहायक प्रोफेसर को एक वर्ष की अवधि हेतु लिएन पर 31 जनवरी 2018 से कार्यमुक्त किए जाने तथा तीन महीने की अवधि में शेष रहे दिनों के बदले में वेतन का भुगतान तीन किश्तों में करने में कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.सी. 30.3.2: डॉ. करिश्मा कार्थक लेपचा की अतिविशेष छुट्टी हेतु आवेदन पत्र

डॉ. करिश्मा कार्थक लेपचा, सहायक प्रोफेसर, एंथ्रोपोलोजी विभाग ने आइआइएएस शिमला द्वारा प्रस्तावित फ़ेलोशिप का उपभोग करने के लिए 01 अप्रेल 2018 से दो वर्षों के लिए अतिविशेष छुट्टी हेतु अनुरोध किया है ।

कुलपति ने विभाग की अनुशंसा पर यह अनुरोध स्वीकृत किया तथा डॉ. करिश्मा कार्थक लेपचा को 01 अप्रेल 2018 से दो वर्षों की अतिविशेष छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की ।

कार्यकारी परिषद ने डॉ. करिश्मा कार्थक लेपचा को आइआइएएस, शिमला द्वारा प्रस्तावित फ़ेलोशिप का उपभोग करने के लिए 01 अप्रेल 2018 से दो वर्षों की अतिविशेष छुट्टी की स्वीकृति प्रदान करने में कुलपति की कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.सी. 30.3.3: श्री दीपेन छेत्री का प्रयोगशाला परिचारक के पद से त्यागपत्र

श्री दीपेन छेत्री, जिन्होंने विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला परिचारक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था, ने 13 फरवरी 2018 के पत्र के माध्यम से यह अनुरोध करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया है कि उन्हें 13 मार्च 2018 को कार्यमुक्त किया जाए, ताकि वे सिक्किम सरकार में एलडीसी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर सकें ।

सांविधि 26(6)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत श्री दीपेन छेत्री ने एक माह की नोटिस दिया तथा कुलपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार किया एवं 13 मार्च 2018 लागू उन्हें कार्यभारमुक्त किया ।

परिषद ने श्री दीपेन छेत्री को दिनांक 13 मार्च 2018 से त्यागपत्र स्वीकार करने एवं उन्हें कार्यभारमुक्त करने में कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.सी. 30.3.4: श्रीमती सबीना शर्मा, प्रयोगशाला परिचारिका को लिएन पर कार्यभारमुक्त किया जाना

सुश्री सबीना शर्मा, प्रयोगशाला परिचारिका विश्वविद्यालय की एक स्थायी कर्मचारी हैं । उन्होंने एचआरडीडी, सिक्किम सरकार स्नातक शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए, विश्वविद्यालय में उनके द्वारा धारित पद पर लिएन रखते हुए 07 मार्च 2018 से कार्यभारमुक्त किए जाने का अनुरोध किया है

विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार, सुश्री सबीना शर्मा ने तीन माह की सूचनावधि में शेष रह गए दिनों के समतुल्य वेतन जमा करवाया है ।

परिषद ने सुश्री सबीना शर्मा को 07 मार्च 2018 से कार्यभारमुक्त करने तथा विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला परिचारिका के पद पर एक वर्ष की अवधि तक लिएन धरण करने की अनुमति प्रदान करने मे कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.सी. 30.3.5: डॉ. सुभाष मिश्रा, सहायक प्रोफेसर को लिएन पर कार्यभारमुक्त किया जाना

डॉ. सुभाष मिश्रा, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय के एक स्थायी कर्मचारी हैं। उन्होंने 12 दिसम्बर 2017 से कार्यभारमुक्त किए जाने का अनुरोध किया, ताकि वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने में सक्षम हो सकें । विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार, उन्हें तीन माह की सूचनावधि में शेष बचे दिनों, अर्थात 67 दिनों का वेतन जमा करवाने को कहा गया था । तीन किश्तों में भुगतान किए जाने के उनके अनुरोध को कुलपति द्वारा मानवता के आधार पर स्वीकार किया गया था ।

परिषद ने डॉ. सुभाष मिश्रा, सहायक प्रोफेसर को 12 दिसम्बर 2017 से एक वर्ष की अवधि हेतु लिएन पर कार्यभारमुक्त करने तथा सूचनावधि में शेष बचे दिनों का वेतन तीन किश्तों में भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने में कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.सी. 30.3.6: श्री विजय वी., सहायक प्रोफेसर को लिएन पर कार्यभारमुक्त किया जाना

श्री विजय वी., सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग ने 23 फरवरी 2018 से कार्यभारमुक्त किए जाने का अनुरोध किया था, ताकि वे दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने में सक्षम हो सकें ।

विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार, उन्हें सूचनावधि में शेष रहे दिनों का वेतन जमा करवाने को कहा गया था। श्री विजय वी ने सूचनावधि में शेष बचे दिनों के समतुल्य वेतन जमा करवाया तथा उन्हें 23 फरवरी 2018 को कार्यभारमुक्त किया गया था ।

परिषद ने श्री विजय वी, सहायक प्रोफेसर को दिनांक 23 फरवरी 2018 से लागू कार्यभारमुक्त किए जाने तथा उन्हें एक वर्ष की अवधि हेतु लिएन धारित करने की अनुमति प्रदान करने में कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.सी. 30.3.7: डॉ. मदन कुमार यादव की नियुक्ति में विस्तार

परिषद को सूचित किया गया था कि डॉ. मदन कुमार यादव कि नियुक्ति डॉ. टेबोरलैंग टी. खर्शिनटेउ कि लिएन रिक्ति के विरुद्ध नियमित बैंड पे एवं शैक्षणिक ग्रेड पे पर 18 सितम्बर 2017 से अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कि गई थी, जिनकी लिएन अवधि 30 जून 2018 तक वैध थी । डॉ. टेबोरलैंग टी. खर्शिनटेउ ने अपनी लिएन अवधि समयापूर्व 01 फरवरी 2016 को समाप्त करवा दी तथा लिएन रिक्ति समाप्त हो गई । परिषद ने अपनी दिनांक 01 दिसम्बर 2018 कि 29वीं बैठक में डॉ. मदन कुमार यादव की 30 जून 2018 तक संवीदा आधार पर, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन किया था, क्योंकि वे विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर चुके थे। चूंकि उनकी संवीदा आधार पर नियुक्ति का अनुमोदन परिषद की 01 दिसम्बर 2017 को आयोजित 29वीं बैठक मेंकिया गया तथा उनका वेतन निर्धारण 18.09.2017 से लागू होकर, अर्थात विश्वविद्यालय में उनके कार्यभार ग्रहण दिवस से रु 64,208 के समेकित मासिक पारिश्रमिक पर यूजीसी मार्गदर्शनों के अनुसार किया गया था ।

कुछ सदस्यों ने नियुक्ति के 'लिएन रिक्ति' से 'संवीदाजन्य' में परिवर्तन के मुद्दे को उठाया । यह स्पष्ट किया गया था कि डॉ. मदन कुमार यादव को लिएन रिक्ति के विरुद्ध पद हेतु दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, इसका स्पष्टता के साथ उल्लेख किया गया था कि उनकी नियुक्ति उसी दिन परिसमाप्त कर दी जाएगी जिस दिन डॉ. टेबोरलैंग टी खर्शिनटेउ अपने काम पर लौटते हैं । यह भी, कि लिएन रिक्ति के नियमित रिक्ति में परिवर्तन किए जाने के मामले में, वे रिक्ति के विरुद्ध नियमितीकरण के हकदार नहीं होंगे । चूंकि लिएन रिक्ति समाप्त हो गई है तथा रिक्ति को भरने में कुछ समय लगेगा, अतः इस मामले को परिषद के समक्ष डॉ. मदन कुमार यादव को सहायक प्रोफेसर के रूप में 30 जून 2018 तक, अर्थात जहां तक लिएन रिक्ति का विद्यमान रहना प्रत्याशित था, संवीदा आधार पर नियुक्त करने के लिए उठाया गया था ।

परिषद ने डॉ. मदन कुमार यादव का यूजीसी मार्गदर्शनों के अनुसार समेकित आधार पर पारिश्रमिक निर्धारित किए जाने में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

भाग - 4, विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

ई.सी. 30.4.1: डॉ. नागेंद्र ठाकुर की अध्ययन छुट्टी

परिषद को सूचित किया गया कि दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को आयोजित इनकी 29वीं बैठक में डॉ. नगेंद्र ठाकुर, सहायक प्रोफेसर, माइक्रोबायोलोजी विभाग को जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारत

सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के वैज्ञानिकों के लिए डीबीटी के ओवेरसीज एसोसिएटशिप के अंतर्गत पोस्ट डाकटोरल फ़ेलोशिप में अध्ययन करने के लिए 15 जनवरी 2018 से 15 जनवरी 2019 तक एक वर्ष के लिए अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की गई थी। डॉ. नगेंद्र ठाकुर ने 08 जनवरी 2018 का अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उनकी अध्ययन छुट्टी को 15 जनवरी 2018 के स्थान पर 15 जुलाई 2018 तक विलंबित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि उन्हें कागजातों के प्रसंस्करण में समय लगेगा तथा ओवरसीज एसोसिएटशिप हेतु निधि की निकासी नहीं हुई है ।

विचार विमर्श के पश्चात परिषद ने डॉ. नगेंद्र ठाकुर, सहायक प्रोफेसर, माइक्रोबायोलोजी विभाग को 15 जनवरी 2018 के स्थान पर 15 जुलाई 2018 से एक वर्ष की अवधि हेतु अध्ययन छुट्टी की स्वीकृति का अनुमोदन किया।

भाग-5

प्राधिकारियों/समितियों के कार्यवृत्त

ई.सी. 30.5.1: वित्त समिति की दिनांक 26 मार्च 2018 को आयोजित 18वीं आस्थगित बैठक के कार्यवृत्त

परिषद को सूचित किया गया कि वित्त समिति की 26 मार्च 2018 को 18वीं आस्थगित बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें सिर्फ यूजीसी द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के संकाय एवं गैर - शिक्षण कर्मचारियों के लिए 7वें सीपीसी के कार्यान्वयन से संबन्धित कार्यसूची पर ही, किराया सहायता / आर्थिक सहायता की वापसी की शर्त पर विचार किया गया, जैसा कि विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों को विस्तारित किया गया है; साथ ही वसूली की प्रक्रिया के प्रारम्भ किए जाने को सम्मिलित किया गया ।

परिषद ने यह भी नोट किया कि कुलपति ने एसयू अधिनियम की धारा 12(3) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (शिक्षण एवं गैर-शिक्षण दोनों) के लिए 7वें सीपीसी के कार्यान्वयन पर एफसी की अनुशंसाओं तथा कार्यकारी परिषद द्वारा संपुष्टि की शर्त पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को यथाविस्तारित किराया सहायता / आर्थिक सहायता की वापसी का अनुमोदन किया ।

गैर-शिक्षण कर्मचारी संगठन (एसएनयूटीएसए) ने दिनांक 12 अप्रेल 2018 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें विश्वविद्यालय से किराया सहायता / आर्थिक सहायता की वापसी, जैसा कि बाह्यस्थानिक कर्मचारियों को विस्तारित है, तथा वसूली की प्रक्रिया आरंभ करने की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है । उनके अभ्यावेदन में यह उल्लेखित किया गया है कि विश्वविद्यालय के अपने नए परिसर में स्थानांतरित होने की कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है,तथा विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की स्थिति में नहीं है, अतः किराया सहायता / आर्थिक सहायता की वापसी से कर्मचारियों के ऊपर गंभीर वित्तीय संकट पड़ेगा। गंगटोक में मकान किराया अत्यधिक है, क्योंकि यह एक पर्यटनस्थल है तथा मकान किराया अधिनियम सर्वथा मकान मालिकों के पक्ष में है । एसयूएनटीएसए के सभापति एवं महासचिव को अपना पक्ष रखने के लिए परिषद की बैठक में आमंत्रित किया गया था । अभ्यावेदन में उल्लेखित उपरोक्त विंदुओं के अतिरिक्त उनलोगों ने उल्लेख किया कि नागालैंड में, जहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय (नागालैंड विश्वविद्यालय) अवस्थित है, एचआरए 20% की दर से (6ठे सीपीसी के अनुसार) भुगतान किया जाता है । पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी उच्चतर एचआरए दरें लागू हैं, जबकि गंगटोक में यह 10% (6ठे सीपीसी के अनुसार) है, जो कि घटकर 8% हो जाएगा (7वें सीपीसी के अनुसार)।

एसयूएनटीएसए प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि एचआरए की दरों को 10% से 20% में (6ठे सीपीसी के अनुसार) अथवा 8% से 16% में (7वें सीपीसी के अनुसार) बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि बाह्यस्थानिक कर्मचारियों द्वारा मकान मालिकों को किराया भुगतान में कुछ राहत मिल सके । अन्यथा विश्वविद्यालय कैंपस में आवासीय क्वाटरों के स्थान पर बाह्यस्थानिक कर्मचारियों के आवासीय सुवीधा के लिए आवास स्थान किराये पर ली जाए।

गैर-शिक्षण कर्मचारी संगठन के सभापति एवं महासचिव के चले जाने के बाद परिषद द्वारा इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

i) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए 7वें सीपीसी के कार्यान्वयन एवं विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों को यथाविस्तारित किराया सहायता / आर्थिक सहायता की तत्काल कटौती कुलपति की कार्रवाई की संपुष्टि की।

ii) विश्वविद्यालय गंगटोक के एचआरए प्रदान किए जाने के लिए श्रेणी ख शहर में वर्गीकरण की मांग केंद्रीय सरकार के समक्ष रखे, जैसा कि कोहिमा (नागालैंड), पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों के लिए किया गया है ।

iii) किन्हीं श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आवासीय गृहों को ऐसे समय तक किराए पर लेने के मामले को एमएचआरडी /यूजीसी /एफसी के साथ उठाया जाना, जबतक कि विश्वविद्यालय आवासीय सुवीधाओं के साथ अपने कैंपस में स्थानांतरित नहीं हो जाता है ।

iv) किन्हीं कर्मचारियों को विस्तारित किराया सहायता / आर्थिक सहायता की वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए मामले को ऐसे समय तक विलंबित करने का निर्णय लिया गया, जबतक कि 7वें सीपीसी के भत्ते भी विस्तारित नहीं कर दिये जाते हैं । इसमें कर्मचारियों का दोष नहीं है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय द्वारा कई कारकों पर विचार करते हुए, यथा - विश्वविद्यालय के लिए बेहतर मेधा आकर्षित करना आदि पर , विस्तारित एक योजना थी ।

ई.सी. 30.5.2: भवन निर्माण समिति की 12 मार्च 2018 को आयोजित 9वीं बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने भवन निर्माण समिति के कार्यवृत्त को नोट किया तथा निम्नानुसार विशिष्ट अनुमोदनों के साथ अनुमोदित किया :

i) परियोजना के पूर्ण किए जाने में भवन निर्माण समिति द्वारा यथा-अनुशंसित अभिलेखित उचित बाधाओं पर आधारित 166 दिनों का विस्तार ।

ii) भवन निर्माण समिति द्वारा स्वीकारी सीमा तक संख्याओं में विचलन एवं कार्य के क्षेत्र में ह्रास।

iii) जीएसटी के मुनाफाखोरी-रोधक खंड हेतु स्वतंत्र कर परामर्शदाता की नियुक्ति ।

भाग - 6

अध्यक्ष महोदय की ओर से मामले

ई.सी. 30.6.1: विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु वर्ष 2018-19 शुल्क संरचना

परिषद को सूचित किया गया कि छात्रों द्वारा भुगतानयोग्य शुल्क का उल्लेख विश्वविद्यालय अध्यादेश ओसी-3 में किया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 2% की गैर-संचयी वृद्धि की जाती है।

अध्यादेश ओसी-3 में खंड 2(ए) एवं 2(बी) के अंतर्गत छात्रों द्वारा एक बार में शुल्क एवं लैब-आधारित तथा गैर-लैब आधारित, साथ ही प्रोफेशनल एवं गैर-प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के आधार पर सेमेस्टर शुल्क के रूप में भुगतानयोग्य विस्तृत शुल्क संरचना भी उपबंधित है।

विचार विमर्श के पश्चात परिषद ने निम्नानुसार निर्णय लिया :

i) पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित शुल्क में पिछले वर्ष के शुल्क के ऊपर 2% की गैर- संचयी वृद्धि की जाये;

ii) अध्यादेश में दी गई शुल्क संरचना का अध्ययन करने तथा यह निर्णय करने कि कौन सा पाठ्यक्रम प्रोफेशनल एवं लैब-आधारित है, साथ ही अध्यादेश में परिवर्तन, यदि कोई हो, सुझाए जाने के लिए एक समिति के गठन हेतु कुलपति को प्राधिकृत करना। समिति की अनुशंसाओं को शैक्षणिक परिषद के समक्ष विचारार्थ रखी जाये।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त घोषित हुई।

ह0/-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव

ह0/-
(प्रो.ज्योति प्रकाश तामंग)
कुलपति एवं अध्यक्ष